[2008] 2 एस.सी.आर. 870

एस. आनंद

बनाम

वसुमती चंद्रशेखर

(2008 का दांडिक अपील संख्या 311)

14 फरवरी, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 256 और 311 - परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का कथित तौर पर कारित किया जाना - आपराधिक परिवाद - महानगर दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत अभियुक्त-अपीलकर्ता को यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि परिवादी लगातार अनुपस्थित रही थी और कई सुनवाइयों में उसकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश अपास्त किया गया - अपील पर, अभिनिर्धारितः परिवादी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए ही आवश्यक होती - यदि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, तो वह इसे अपने जोखिम पर करती लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्णतः आवश्यक थी - इसके अतिरिक्त, जब अभियोजन ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत की जा चुकी थी, तो न्यायालय के लिए मामले के गुण-दोष पर निर्णय पारित करना आवश्यक था - यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके से अपील का निपटारा किया गया वह उचित नहीं था, फिर भी यह मामला संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है - परक्राम्य

लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138।

उत्तरदाता द्वारा दायर एक परिवाद याचिका के आधार पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक अपराध कथित तौर पर कारित करने के लिए महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय में अपीलकर्ता पर अभियोजन चलाया जा रहा था। महानगर दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत अभियुक्त-अपीलकर्ता को यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि परिवादी लगातार अनुपस्थित रही थी और कई सुनवाइयों में उसकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके विरुद्ध दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

स्वयं उपस्थित होने वाले अपीलकर्ता द्वारा यह दलील दी गई कि परिवादी के एक वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण, उच्च न्यायालय को महानगर दंडाधिकारी द्वारा प्रयोग की गई विवेकाधीन अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से तब जब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था और परिवादी ने न केवल किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया था, बल्कि एक अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था।

उत्तरदाता ने, हालांकि, यह दलील दी कि इस तथ्य को देखते हुए कि मामला बचाव साक्षियों की परीक्षा के लिए स्थगित किया गया था, दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256, जो व्यतिक्रम होने पर परिवाद के निपटारे का प्रावधान करती है, का सहारा मामले के तथ्यों में लिया जा सकता था जबकि परिवादी की ओर से साक्षियों की परीक्षा पहले ही की जा चुकी थी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1.1. वह तारीख बचाव साक्षियों के परीक्षण के लिए तय की गई थी। अपीलकर्ता साक्षियों का परीक्षण कर सकता था, यदि वह ऐसा करना चाहता था। उस स्थिति में, परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। [कंडिका 11] [875-डी, ई]

1.2. अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन दायर करने का हकदार था। दंडाधिकारी के लिए ऐसे आवेदन पर विचार करना और उसका निपटारा करना आवश्यक था। परिवादी ने स्वयं की साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं कराई थी। उसे प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः समन किए जाने की प्रार्थना की गई थी। उक्त प्रार्थना को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन, इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उस आधार पर न्यायालय उस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करेगा या बचाव पक्ष अपने साक्षियों की परीक्षा नहीं करेगा। [कंडिका 12] [875-ई, एफ, जी]

1.3. परिवादी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रति-परीक्षण के प्रयोजन के लिए ही आवश्यक होती। यदि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, तो वह इसे अपने जोखिम पर करती लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्णतः आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, जब अभियोजन ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत की जा चुकी थी, तो न्यायालय के लिए मामले के गुण-दोष पर निर्णय पारित करना आवश्यक था। [कंडिका 13] [875-एच;876-ए, बी]

1.4. यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके से अपील का निपटारा किया गया है वह उचित नहीं है, फिर भी यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ किसी को संविधान के

अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए। [कंडिका 16] [876-डी, ई]

1.5. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवाद याचिका बहुत पहले दिनांक 10.01.2002 को दायर की गई थी, विचारण न्यायाधीश को विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए और मामले का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा करना चाहिए। उस तारीख/तारीखों पर जब अभियुक्त उपस्थित रहता है, परिवादी कोई स्थगन नहीं लेगी और यदि वह न्यायालय में अपना प्रतिनिधित्व न कराने का विकल्प चुनती है, तो न्यायालय विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा। [कंडिका 17] [876-ई, एफ]

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद **[(1998) 1 एस.सी.सी. 687: ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 536]** और *जिमी जहांगीर मदान बनाम बॉली करियप्पा इंडली (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से* **(2004) 12 एस.सी.सी. 509 — संदर्भित।**

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 का दांडिक अपील संख्या 311

2006 का दांडिक अपील संख्या 537 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 15.09.2006 के निर्णय और आदेश से।

एस. आनंद (याचिकाकर्ता-स्वयं उपस्थित)

उत्तरदाता के लिए ए. रेगुनाथन, पी. विनय कुमार।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान उत्तरदाता द्वारा दायर की गई एक परिवाद याचिका के आधार पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 138 के अंतर्गत एक कथित

अपराध कारित करने के लिए सैदापेट, चेन्नई के महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय में अपीलकर्ता पर अभियोजन चलाया जा रहा था।

3. उक्त कार्यवाहियों में, अभियोजन की ओर से साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी थी। परिवादी ने अपना मामला बंद कर दिया था। दिनांक 10.04.2006 को बचाव पक्ष के साक्षी की परीक्षा और बहस के लिए तारीख तय की गई थी।

हालांकि, अपीलकर्ता ने स्वयं परिवादी की प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था।

उक्त पुनरीक्षण आवेदन में, स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। जहाँ अपीलकर्ता विचारण न्यायाधीश के समक्ष लगातार उपस्थित रहा था, वहीं परिवादी अनुपस्थित रही।

4. दिनांक 18.04.2006 को या उसके आस-पास, अपीलकर्ता ने परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर अपनी दोषमुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांक 24.04.2006 के आदेश द्वारा, विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने यह कहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया:

> "परिवादी अनुपस्थित। कई सुनवाइयों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं। अभियुक्त उपस्थित। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत याचिका स्वीकार की जाती है। परिवादी सुनवाई की तारीख 3.3.05 से लगातार अनुपस्थित है। अतः, परिवादी को तीन बार पुकारा गया। शाम 5.30 बजे तक न तो परिवादी और न ही उसके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय साक्षी-1 परीक्षित। अतः अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता

है।"

5. इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय के *एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद* [(1998) 1 एस.सी.सी. 687: ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 536] के निर्णय पर या उसके आधार पर उसे स्वीकार कर लिया गया था।

6. हम सर्वप्रथम यह ध्यान दे सकते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता पर सूचना की तामीली कराना उचित नहीं समझा, यह मत व्यक्त करते हुए कि अपील को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और एक विनोद कुमार को विधिक सहायता अधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे समक्ष है।

7. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले श्री आनंद द्वारा यह दलील दी गई कि परिवादी के एक वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण, विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा प्रयोग की गई विवेकाधीन अधिकारिता में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से तब जब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था और परिवादी ने न केवल किसी अन्य के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया था, बल्कि एक अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था।

श्री आनंद ने यह दलील दी कि यह उस अधिवक्ता का कर्तव्य था, जो अपने पक्षकार का अभिकर्ता होता है, कि वह सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित हो, विशेषकर तब जब एक अभियुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था और सुनवाई के सभी दिनों में न्यायालय में उपस्थित रहा था। किसी भी स्थिति में, यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने केवल एक विधिक सहायता अधिवक्ता को सुनकर अपील का निपटारा करने में

गंभीर त्रुटि की है और यहाँ तक कि उसके द्वारा की गई निविष्टियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

8. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. रेगुनाथन ने, हालांकि, यह दलील दी कि इस तथ्य को देखते हुए कि मामला बचाव साक्षियों की परीक्षा के लिए स्थगित किया गया था, विद्वान दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

9. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XX दंडाधिकारियों द्वारा समन मामलों के विचारण से संबंधित है।

संहिता की धारा 256 निम्नानुसार पठित है:

"256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। — (1) यदि समन परिवाद पर जारी किया गया है और अभियुक्त के हाजिर होने के लिए तय दिन या उसके पश्चात् के किसी ऐसे दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो दंडाधिकारी इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह कुछ कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना उचित न समझे:

परंतु जहाँ परिवादी का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहाँ दंडाधिकारी की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहाँ दंडाधिकारी उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में आगे बढ़ सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे जहाँ परिवादी का हाजिर न होना उसकी मृत्यु के कारण है।"

10. संहिता की धारा 256 व्यतिक्रम होने पर परिवाद के निपटारे का प्रावधान करती है। इसका परिणाम दोषमुक्ति होता है। परंतु, जो प्रश्न विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या उक्त उपबंध का सहारा मामले के तथ्यों में लिया जा सकता था जबकि परिवादी की ओर से साक्षियों की परीक्षा पहले ही की जा चुकी थी।

11. वह तारीख बचाव साक्षियों के परीक्षण के लिए तय की गई थी। अपीलकर्ता साक्षियों की परीक्षा कर सकता था, यदि वह ऐसा करना चाहता था। उस स्थिति में, परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। यह उसका काम था कि वह बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करे।

12. अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन दायर करने का हकदार था। विद्वान दंडाधिकारी के लिए ऐसे आवेदन पर विचार करना और उसका निपटारा करना आवश्यक था। हमने ऊपर उल्लेख किया है कि परिवादी ने स्वयं की साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं कराई थी। उसे प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः समन किए जाने की प्रार्थना की गई थी। उक्त प्रार्थना को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन, इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उस आधार पर न्यायालय उस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करेगा या बचाव पक्ष अपने साक्षियों की परीक्षा नहीं करेगा।

13. जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, परिवादी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिए ही आवश्यक होती। यदि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, तो वह इसे अपने जोखिम पर करती लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्णतः आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, जब अभियोजन ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत की जा चुकी थी, तो न्यायालय के लिए मामले के

गुण-दोष पर निर्णय पारित करना आवश्यक था।

14. हमारा यहाँ इस बात से सरोकार नहीं है कि क्या परिवादी का मुख्तारआम परिवादी का प्रतिनिधित्व कर सकता था।

इस संबंध में *जिमी जहांगीर मदान बनाम बॉली करियप्पा इंडली (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से* [((2004) 12 एस.सी.सी. 509)] पर लिए गए अवलंबन पर, अतः हमारे द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

15. परिवादी की वैसी ही दलील कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल का अभिकर्ता होता है और अपने मुवक्किल के लिए उपस्थित होना उसका कर्तव्य है, हमारे मत में, इस अपील के दायरे से बाहर है।

16. इसलिए, यद्यपि हम उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके से अपील का निपटारा किया गया है उसे स्वीकृति नहीं देते हैं, फिर भी हमारा यह मत है कि यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए।

17. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवाद याचिका बहुत पहले दिनांक 10.01.2002 को दायर की गई थी, विद्वान विचारण न्यायाधीश को विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए और मामले का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा करना चाहिए। उस तारीख (तारीखों) पर जब अभियुक्त उपस्थित रहता है, परिवादी कोई स्थगन नहीं लेगी और यदि वह न्यायालय में अपना प्रतिनिधित्व न कराने का विकल्प चुनती है, तो न्यायालय विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा। अभियुक्त और परिवादी दोनों को आज की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

17. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

बी.बी.बी./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।